भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1408 #

गुरूवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद योजना के अंतर्गत सतत विकास

1408 # श्री बृज लाल:
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्रीमती किरण चौधरी:
श्री बाबू राम निषाद:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत 54 स्वीकृत स्थलों पर केवल अवसंरचना ही नहीं, बल्कि एकीकृत एवं सतत विकास के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से उपाय किए गए हैं;

(ख) स्थानीय हितधारकों और मंदिर/तीर्थस्थल ट्रस्टों आदि से परामर्श कर पुनर्विकास परियोजनाओं की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अखंडता बनाए रखने हेतु कौन-कौन से तंत्र उपलब्ध हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने पर्यटन की गुणवत्ता में सुधार और उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए प्रसाद स्थलों पर सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(घ) निरंतर केंद्रीय वित्तपोषण के बिना पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की सततता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिह्नित तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान मिशन' (प्रशाद) नामक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों की सुविधा, पहुंच, सुरक्षा, स्वच्छता की व्यवस्था करने और अनुभव को बेहतर बनाने वाली सुनियोजित पर्यटन अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से पर्यटकों की तीर्थयात्रा संबंधी और आध्यात्मिक अनुभव को बेहतर बनाना है तथा एकीकृत, समावेशी और सतत विकास के माध्यम से तीर्थयात्रा/विरासत संबंधी शहर की आत्मा को पुनर्जीवित/संरक्षित करना है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

(ख): योजना दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों (मंदिर प्राधिकरण/धार्मिक ट्रस्ट, गैर-सरकारी संगठन और सोसायटी आदि, जैसा भी लागू हो) के परामर्श से चिह्नित परियोजनाओं के लिए व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करता है। उक्त परामर्श यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि स्थलों की आध्यात्मिक अखंडता और स्वरूप को संरक्षित और दुरुस्त रखा जाए, साथ ही समग्र तीर्थयात्री/पर्यटक-संबंधी अनुभव में सुधार के लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाए।

(ग): पर्यटन मंत्रालय "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" (सीबीएसपी) नामक योजना के तहत देश भर में पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करता है, जिसमें प्रशाद के अंतर्गत आने वाले गंतव्य भी शामिल हैं, ताकि गंतव्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके।

(घ): संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अपनी सतत संचालन एवं रखरखाव संबंधी योजनाएँ तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित की जाती है।

*****